composition, as it stands now, indicates that the Constituent Assembly had in mind the question of functional representation and it was due to this that they suggested that one-third members of the Legislative Councils should be left to be elected by the Members of the Legislative Assemblies because at that time the members of the Constituent Assembly did not agree to the representation of various interests. A large number of interests came before them in the form of amendments to the provisions of the proposed Draft Constitution. The Hon. Minister has said that he does not agree to the various provisions of the Bill now, but he realises that he will take them into consideration and will bring forward a separate Bill after sometime. The existing provision in the Constitution suggests and gives power to the Parliament. Everything has been decided with regard to Assemblies and Parliament, but with regard to the composition of Legislative Councils, there is a provision that the present composition will continue till the Parliament takes a decision otherwise. Therefore, in the very nature of this provision, it is suggested that the Parliament should consider this after 15 years' experience and after the various organisations in the form of decentralised administration have come. The time has, therefore, come when the Government should consider the desirability or necessity of having a separate Bill for the composition of Legislative Councils. As I have said, various non-official opinions are in favour of revising the present composition of Legislative Councils; the opinions of some Hon. Members of this House also suggest that this should be revised. But I very much regret that the Government have not thought it proper to accept the provisions of the Bill. In my Bill I have made certain suggestions and it has to be referred to a Select Committee if the Hon. Members of the House agree to it. But it appears that the Government is not prepared to accept my motion at present. Having that in mind, I would not like that my motion for reference to a Select Committee should be lost. Therefore, I would request that the House may permit me to withdraw the Bill for the present with the hope that the Government would come forward with a Bill to revise the composition of the Legislative Councils.

Mr. Speaker: Has he the leave of the House to withdraw the Bill?

The Bill was, by leave, withdrawn.

14·45 hrs.

SIKH GURDWARAS BILL

श्री अ० सि० सहगल (जंजगीर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों में स्थित सिख गुरुद्वारों की सुप्रबन्ध की तथा उन से सम्बन्धित मामलों की जांच करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 30 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाए, जिस में इस सभा के बीस सदस्य, अर्थात्:—

डा० मा० श्री० अणे, श्री कन्हैया लाल बाल्मिकी, श्री न० का० भट्टाचार्य, मेजर राजा बहादुर वीरेन्द्र सिंह, खैरागढ़, सरदार बूटा सिंह, सरदार दलजीत सिंह, श्रीमती विमलाबाई पंजाबराव देशमुख, सरदार धन्ना सिंह गुलशन, सरदार इकबाल सिंह, श्री हरि विष्णु कामत, सरदार कपूर सिंह, हिज हाइनेस महाराजा बीकानेर श्री कर्णी सिंहजी, श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा, सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया, सरदार गुरमुख सिंह मुसाफिर, श्री मान सिंह पृथ्वी राज पटेल, श्री दे० द० पुरी, श्री श्याम लाल सर्राफ, श्री अशोक कु० सेन, तथा सरदार अमर सिंह सहगल, और राज्य सभा के दस सदस्य हों,

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी,

कि समिति इस सभा को अगले अधिवेशन के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देगी,

[श्री ग्र० सिं० सहगल]

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें, और

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले दस सदस्यों के नाम इस सभा को बताए ।

उपाध्यक्ष जी, जब कि पालियामेंट डिजाल्व हुई थी उस के पहले यह बिल विभिन्न गुरुद्वारों के जो लोग इस देश में हैं उन की राय मंगाने के लिए भेजा गया था, और उन की राय उस वक्त आ चुकी थी, मगर पालियामेंट के भंग हो जाने के कारण और नए चुनाव आ जाने के कारण यह बिल वहीं पर पड़ा रह गया । और उस के बाद यह बिल इस सदन में लाया गया है । पंजाब के भाइयों ने जो यहां हैं, इसे लाने को कहा । उन की इच्छा के मुताबिक यह बिल यहां लाया गया है ।

इस बिल का उद्देश्य है कि आज जो गुरुद्वारे भारत वर्ष में हैं उन की व्यवस्था ठीक तरह से चले । मैं मानता हूं कि बिल में खामियां हैं और होंगी । उन को सिलेक्ट कमेटी के जरिए दूर किया जा सकता है । सिलेक्ट कमेटी के सामने देश के बहुत से लोग और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि आ कर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं । सिलेक्ट कमेटी के सामने जो भी आज तक लोगों की राय आयी है या गुरुद्वारों की राय आयी है, या संस्थाओं की राय आयी है उसे देखने से मालूम होता है कि हमें इस में रद्दोबदल करनी पड़ेगी । इसलिये मैं इस सदन से दरखास्त करूंगा कि जो सिलेक्ट कमेटी बन रही है उस के सामने इस बिल को जाने दें और वहां पर जो रायें आयी हैं हिन्दुस्तान के कोने कोने से उन के आधार पर इस में रद्दोबदल किया जाए ।

मैं आप से यह भी कहना चाहता हूं कि अभी थोड़े रोज हुए कि संत फतेह सिंह जी यहां पर आए थे और मुझे अच्छी तरह से खबर है कि उन्होंने इस बात के बारे में चर्चा की थी और मेरे पास उस का प्रमाण है । उन्होंने कहा था कि सिक्खों के साथ ज्यादतियां होती हैं-खैर होती हैं या नहीं होती हैं, यह सवाल दूसरा है उस पर मैं इस समय कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन यह जरूर कहना चाहूंगा कि इस सदन के सामने आज यह बिल इतने वर्षों से पड़ा हुआ है । कुछ कारणों से एक संस्था में रहने के कारण बहुत सी चीजें आती हैं जिन का हमें पालन करना पड़ता है । लेकिन अब वक्त आ गया है कि सन्त फतेह सिंह जी के जो वाक्य हैं उन के अनुसार हमें इस बिल को सदन के सामने लाने में कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए । मैं सरकार से कहूंगा कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में जाने दे और उस की राय मालूम करे । यही नहीं जो मैमोरेंडम सबमिट किए गए हैं हमारे भाइयों की दूसरी पार्टीज द्वारा, जो कि इस मजहब में हैं उन पर ध्यान दिया जाए । उन्हों ने इस बात पर जोर दिया है कि इस बिल को, जो कि इतने दिनों से पड़ा है, कामयाब किया जाए और इस को पास किया जाए ।

इन शब्दों के साथ मैं इस सदन से दरखास्त करता हूं कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को जाने के लिये मंजूरी दे ।

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That the Bill to provide for the better administration of Sikh Gurdwaras situated in different States of Indian Union and for inquiries into matters connected therewith, be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of 30 Members, 20 from this House, namely: Dr. M. S. Aney, Shri K. L. Balmiki, Shri C. K. Bhattacharyya, Major Rajabahadur Birendra Bahadur Singh of Khairagarh, Sardar Buta Singh,

Sardar Daljit Singh, Shrimati Vimalabai Panjabrao Deshmukh, Sardar Dhanna Singh Gulshan, Sardar Iqbal Singh, Shri Hari Vishnu Kamath, Sardar Kapur Singh, H. H. Maharaja Shri Karni Singhji of Bikaner, Shrimati T. Lakshmikanthamma, Sardar Surjit Singh Majithia, Sardar Gurmukh Singh Musafir, Shri Man Sinh P. Patel, Shri D. D. Puri, Shri Sham Lal Saraf, Shri Asoke K. Sen, and Sardar Amar Singh Saigal, and 10 from Rajya Sabha;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of Members of the Joint Committee;

that the Committee shall make a report to this House by the last day of the next session;

that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of 10 Members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee.".

Two hours have been allotted for this Bill.

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सुन्दर बिल को लाने के लिए सरदार अमर सिंह जी को बार बार बधाई देता हूं । जो काम सेन्ट्रल गवर्नमेंट के करने का था वह सरदार अमर सिंह जी ने किया है, इस तरह हमारे सरदार साहब रहनुमाओं के भी रहनुमा हैं ।

15–16 साल से यह बात सरकार कहती आयी है कि यह बिल मंजूर किया जाएगा, लेकिन 15–16 साल हो गए इस को टालते टालते । तो मेरी दरखास्त है कि जो वायदा 16–17 साल पहले का है उस वायदे को सरकार पूरा करे और सरदार अमर सिंह जी जो बिल लाए हैं इस में और ज्यादा सुधार कर के और इस को और भी ज्यादा खूबसूरत बना कर सरकार मंजूर करे ।

इस बिल के बारे में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं । जिन गुरुद्वारों में सिख धर्म का प्रचार किया जाता है और जहां सैकड़ों सालों से लोगों को इस देश की रक्षा करने की दीक्षा दी जाती रही है, उन को ठीक से काम करने का मौका मिले यही इस बिल का उद्देश्य है । यह एक बहुत इन्नोसेंट बिल है, इसलिए हमारे मिनिस्टर साहब को चाहिए कि इसे बगैर किसी कांट्रोवर्सी के मंजूर करें, और सरदार अमर सिंह जी ने सरकार के करने का जो यह काम किया है, इस के लिए सारा हिन्दुस्तान आज उन्हें बधाई देता है ।

हां इतना जरूर करना चाहिए कि जो जो अब तक ढांचा रहा है उस ढांचे को बदला जाए, इस लिए नहीं कि कोई संकुचित भाव पैदा करना है, बल्कि इस लिए कि जो हमारे गुरुओं का मिशन रहा है और उस मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने जो लाफ्टी टीचिंग्स दी है उनका ठीक से प्रचार हो और उनके प्रचार के लिए ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता दी जाए और उनको कानूनी प्रोटेक्शन दिया जाए । आज हम देखते है कि हर जगह खिलवाड़ की जाती है । हम देखते हैं कि कहीं सिगरेट फेंकी जाती है, कहीं पाउंटा साहब पर गोलियां चलाई जाती है, ये चीजें रुकनी चाहिएं क्योंकि सिखिज्म देश की रक्षा के लिए पैदा हुआ है । सिख कम्युनिटी हमारा मिलिटरी डिपार्टमेंट है । अगर हमारे मिलिटरी डिपार्टमेंट को रक्षा नहीं मिलेगी, उनको अपने प्रचार के लिए आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी, तो देश की रक्षा नहीं हो सकती । तो मैं इस बिल का इस लिए जोरदार समर्थन करता हूं । सिख इतिहास इस बात का

[श्री यशपाल सिंह]

साक्षी है कि उन्होंने अपना तन, मन और धन दे कर, अपने प्राण दे कर, अपने बेटे देकर, अपने लिख्ते जिगर देकर इस देश की और धर्म की रक्षा की है। रोटी, बेटी और चोटी की रक्षा की है। इसलिए देश की रक्षा के खयाल से सिखिज्म को कायम रखा जाना चाहिए और उसके प्रसार और प्रचार के लिए पूरा मौका मिलना चाहिए, और 15 साल तक जो यह बिल पड़ा रहा है इसमें और देरी न की जाए और इसको बिना विवाद के मंजूर किया जाए और इस तरह देश को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। अगर आपको देश की रक्षा करनी है तो आपको गुरुद्वारों की तरक्की के लिए तवज्जह देनी चाहिए। आज देश रक्षा चाहता है और रक्षा तभी होगी जब धर्म और चरित्र की शिक्षा होगी। अगर धर्म की और चरित्र की शिक्षा नहीं होगी तो देश की रक्षा नहीं हो सकती। आज के नाजुक मिजाज वाले देश की रक्षा नहीं कर सकेंगे। Rough hands rule the world. मजबूत हाथ ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं और देश की रक्षा कर सकते हैं। ये हिना लगी हुई कोमल उंगलियां देश की रक्षा नहीं कर सकतीं। इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इस बिल को सुन्दरता के साथ मंजूर किया जाए और बगैर किसी विवाद के इसको पास किया जाए।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : डिप्टी स्पीकर सर, मैं इस बिल की पुरजोर ताईद करता हूं। जो बिल सरदार अमर सिंह जी ने पेश किया है उसके साथ मेरी कुछ जाती वाबस्तगियां है। उन्होंने एक शब्द फरमाया कि "गुरुद्वारा के साथ अकीदत रखने वाले लोग"। ऐसे लोगों में मैं अपने आपको भी समझता हूं और मेरा विश्वास है कि बहुत से लोग इस विचार के हैं।

हम चाहते हैं कि इन गुरुद्वारों का मैनेजमेंट अच्छी तरह से हो, उनके फंड्स की अच्छी तरह से देखभाल हो और वे लिविंग इंस्टीट्यूशन्स बनें। मैं अर्ज करूं कि मैं उस नार्थ से आ रहा हूं जोकि उनके कहे मुताबिक गुरुद्वारों में यक़ीन व श्रद्धा रखते हैं। यह विधेयक जोकि सरदार अमरसिंह सहगल लाये हैं उसकी जरूरत इस वजह से पड़ती है कि हम चाहते हैं कि वे लिविंग इंस्टीट्यूशन्स बनें।

15 hrs.

इस के लिए मैं आप से अर्ज करूंगा कि अभी हमारे देश में तालीम बहुत ज्यादा नहीं है खास कर जहां तक हमारे देहाती इलाकों का ताल्लुक है, रूरल ऐरियाज का ताल्लुक है, वहां पर शिक्षा का प्रचार नहीं है। अभी भी वहां पर लोग अनपढ़े हैं। चूंकि इस धर्म को मानने वाले लोग और खास कर गुरुद्वारों में विश्वास व श्रद्धा रखने वाले लोग बहुत ज्यादा उन रूरल ऐरियाज में से आते हैं इस लिए इस बात की बहुत जरूरत है कि देश में कायम सिख गुरुद्वारों का अच्छा और माकूल इंतजाम हो ताकि उन पर एक अच्छा असर पड़े और वह वहां आकर कुछ सीखें और देश और धर्म की एक उपयोगी नागरिक की हेसियत से सेवा कर सके। कुदरती बात यह है कि जिस तरीके का वहां का मैनेजमेंट होगा धार्मिक प्रचार होगा कलचरल प्रचार होगा मोरेलिटी का सबक वहां पर जनता को दिया जायगा उसी हद तक वह अवाम को और उस धर्म के मानने वालों को और दीगर लोग जोकि गुरुद्वारों में और गुरु ग्रंथ साहब में अकीदत रखते हैं उनको यकजा करेगा और वह देश के व कौम के अच्छे नागरिक सिद्ध होंगे वह गवर्नमेंट जिसका दावा यह है कि वह एक एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वह इस ओर तवज्जह दे और तवज्जह देकर जो लोगों के जज़बात है, लोगों के ख्यालात हैं उनकी तरफ ध्यान देकर ऐसे हालात पैदा करे कि जिससे उन की भलाई हो।

मैं सरदार अमर सिंह सहगल का बड़ा आभार मानता हूं और उनका निहायत मशकूर हूं कि उन्होंने ज्वाएंट कमेटी को सौंपने के लिए यह अपना बिल सदन के सामने पेश किया है। मैं एक और दृष्टिकोण से एक और नुक्तेनिगाह से आपके सामने चन्द बातें रखना चाहता हूं। आजकल हमारे देश में बावजूद इस चीज के कि डेमोक्रेसी है, आजादी आबादी का कुछ हिस्सा इस किस्म का भी है जोकि ऐसे गुरुद्वारों को, ऐसे धर्म स्थानों को पोलिटिकल तरीके पर, राजनीतिक स्वार्थ पूरे करने के खातिर गलत तरीके पर इस्तेमाल करता है। दरअसल जरूरत इस बात की है कि जहां तक ऐसे धार्मिक स्थानों का ताल्लुक है, गुरुद्वारों का ताल्लुक है, मस्जिदों व गिरजों का ताल्लुक है उनको सियासत से बिलकुल अलग अलग रखना चाहिए। वहां पर आज बदकिस्मती से जो सियासत चल रही है उसका जनता पर एक खराब असर पड़ता है। जो छोटे लोग हैं, कम तालीमयाफ्ता लोग हैं, देहातों के रहने वाले लोग हैं उनके दिमागों पर इस चीज का बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहे वह सैंटर की हो या राज्यों की हो जिनका कि दावा डेमोक्रेटिक होने का है, वह इधर तवज्जह दे और ऐसे हालात पैदा करे कि यह गुरुद्वारे दुरुस्त तौर ठीक तौर पर चलें और उनका इस्तेमाल सही तौर पर महज इबादत की शकल में हो। वहां पर गुट्टबाजी के लिए कोई गुंजाइश न रहे और वे सही मायनों में धर्मस्थान बनें। इस चीज के लिए जनता और गवर्नमेंट दोनों को काम करना है। मैं सरदार अमरसिंह सहगल को यह बिल लाने के लिए मुबारकबाद देता हूं। यहां इस वक्त जो तमाम तकरीरें हो रही हैं उन्हें उनको सुनना चाहिए और ऐसा न समझकर बैठ जाना चाहिए कि महज बिल पेश कर देने भर से उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। इसमें जहां उनकी खास जिम्मेदारी है वहां सरदार दलजीतसिंह और साधू राम वगैरह जोकि यहां पर इस समय बैठे हुए हैं उन्हें भी मिल कर इस काम को करना है। इन सब का सहयोग हासिल करके सरदार अमरसिंह को इस काम को अपने हाथ में लेना चाहिए। इसमें वे उन दोस्तों का भी सहयोग व मदद हासिल करें जिनकी कि गुरुद्वारों में अकीदत व श्रद्धा है और एक ऐसी फिजा पैदा करें जिससे गवर्नमेंट के हाथ मजबूत हों।

एक संत के बारे में यहां पर जिक्र किया गया। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। मैं भी उन के लिए श्रद्धा रखता हूं लेकिन मैं इतना कहने पर मजबूर हूं कि उन्होंने चन्द एक बातें ऐसी कही है जिनके कि साथ मेरा कतई इत्तिफाक नहीं है। आज हमारा देश जिन खतरनाक मंजिलों से गुजर रहा है और जैसे नाजुक वक्त का उसे सामना करना पड़ रहा है उसमें चाहे वह कितना ही बड़ा शख्स क्यों न हो, ऐसे हालात पैदा करना जिससे कि देश की एकता कमजोर हो, मुनासिब और दुरुस्त नहीं है। मैं इस मौके पर आपकी वसातत से और उन साथियों और दोस्तों के जरिए जोकि उनकी जमात से ताल्लुक रखते हैं, उनसे निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि इस वक्त देश में ऐसे हालात पैदा करने कि किसी किस्म की दानिशमंदी नहीं है, कोई अक्लमंदी नहीं है ताकि देश की एकता कमजोर हो। खास कर पंजाब में तो ऐसे आपस में फूट डालने वाले हालात पैदा किये जाने बिलकुल ही नामुनासिब है क्योंकि आप जानते है कि वह एक सरहदी सूबा है और पाकिस्तान टेढ़ी नजर उधर की ओर लगाये बैठा हुआ है। उधर दूसरी ओर हम देख ही रहे हैं कि कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा तोड़ फोड़ और घुसपैठ की कार्यवाहियां काफी जोरशोर से चल रही हैं। चीन भी उधर घात लगाये बैठा है और हमारे खिलाफ लगातार साजिश और जोड़तोड़ कर रहा है और उसकी कोशिश है कि हिन्दुस्तान तबाह व बर्बाद हो। जब ऐसे हालात देश के सामने हों तो न तो किसी गवर्नमेंट को, न किसी जमात को और न ही किसी दोस्त को जोकि अपने आप को देशभक्त समझता हो, ऐसे

[श्री श्यामलाल सर्राफ]

हालात पैदा नहीं करने चाहिएं जिससे कि देश की एकता कमजोर पड़े। आज देश को एकता और संगठन की सब से ज्यादा जरूरत है। हमें यह देखना है कि यह गुरुद्वारा आदि धार्मिक स्थान लिविंग एंस्टीट्यूशंस बनें और उनका सही इस्तेमाल किया जाय।

हमने देखा कि काश्मीर में जो पाकिस्तानी घुसपैठिये हाल में आये उनको इन मस्जिदों में पनाह मिली है और उन्होंने वहां अपने अड्डे क़ायम किये। उनको वहां पर और कोई शैल्टर नहीं मिला। मैं दावे के साथ कहूंगा कि उन मस्जिदों के चलाने वाले इस बात के लिये जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने इन हमलावरों को मस्जिदों में पनाह दी। आज जो गरीब जनता को उसकी वजह से नुकसान माली और जानी उठाना पड़ रहा है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है।

सरदार अमरसिंह सहगल ने जो यह बिल पेश किया है वह ठीक है। गवर्नमेंट को भी अपना पार्ट अदा करना चाहिए और मैं उम्मीद रखता हूं कि मिनिस्टर साहब हुकूमत की तरफ़ से इस बिल को मंजूर करेंगे। लेकिन इस के साथ ही मैं यह जरूर कहूंगा कि सरदार अमरसिंह सहगल, लाला काशीराम गुप्त वगैरह की जिम्मेदारी महज यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, उनकी जिम्मेदारी इस बात की है कि वह ऐसे हालात पैदा करें अपने देश में, जिससे किसी तरह की गड़बड़ न होने पाये और देश को एकता को ठेस न लगने पाये। गुरुद्वारों आदि धार्मिक स्थानों का गलत तरीक़े से इस्तेमाल न किया जाय। मैं इन चंद शब्दों के साथ इस बिल की पुरजोर ताईद करते हुए कहना चाहता हूं कि ज्वाएंट कमेटी इस पर पूरी तरह से विचार करे, अवाम से उसकी राय हासिल करे, खसूसन उन लोगों से, जिनकी कि गुरुद्वारों पर अक़ीदत व श्रद्धा है और इस तरह से पूरी पूछगछ करके एक ऐसा मुकम्मिल बिल बना कर पास करे जिससे कि देश और कौम को फायदा पहुंचे।

Shri D. C. Sharma: (Gurdaspur): I think Sardar Amar Singh Saigal is to be congratulated on presenting such a comprehensive Bill before this House. I have seen many Bills by private members in this House, but I do not think anybody has taken so much pains in drafting the Bill as he has done. I do not think he has left any item concerned with Sikh Gurdwaras out and he has dealt with every problem connected with this as thoroughly as possible. I think when the history of private members' Bills in the Lok Sabha comes to be written by somebody, this Bill will stand out as a big thing in that.

This Bill has been before the country for a long time. So far as I know, enlightened Sikh opinion has been in favour of it, but it is not a question of Sikhs, Hindus or Muslims. I may tell you very sincerely that Sikh Gurdwaras are are as much deserving of respect at the hands of the Sikhs as at the hands of the Hindus. I remember Goswami Ganesh Dutt, leader of the Sanatana Dharma Sabha, who, I think, in 1947 told me that the study of the Bhagavat Gita, Japji and the Sukhmani Saheb should be made compulsory in all the schools and colleges of the Punjab. Afterwards he wanted that they should be made compulsory also in the schools and colleges of the other parts of the country. I think that that was a very wise suggestion that he made because I can say for myself that Japji Saheb Sukhmani Saheb are two great books full of spiritual comfort and spiritual consolation, they are the most lofty outpourings of the heart of great Gurus, and I think that anybody who goes through them will feel edified and inspired by them.

I need not say much about the Bhagavat Gita. It is known to everybody, and it also contains the

philosophy which has been accepted not only in this country, but also the other countries of the world. Thoreau, Emerson and other persons have accepted the philosophy propounded in the Bhagavat Gita.

The idea is that these Sikh Gurdwaras should become places of worship, real places of worship, genuine places of worship for the Sikhs as well as for those Hindus who believe in the tenets of Sikhism. There was a time when there were two sects of Sikhs, Sikhs and Sahjdharis. So, this should appeal not only to Sikhs but also to Sahjdharis.

So, I feel that the object of Shri Saigal is this, that the Sikh Gurdwaras should become centres from which spiritual and cultural influences will emanate, from which people should get spiritual light, should get ideas about the great spiritual heritage of our country which is enshrined in the Guru Granth Saheb and some of the other great books of the Sikhs. He wants that there should be uniformity so far as Sikh rites and ceremonies are concerned, because most of them are now governed by local customs and usages. I think this will be a step in the right direction, and I feel that most of my Sikh friends will agree to it. But I am not discussing so much the ritualistic aspect of the Gurdwaras because I am not fully conversant with it, but I do want that the administration of the Sikh Gurdwaras should be as efficient and effective as possible.

For that, Shri Saigal has proposed a Board and also a Committee of Management. When one looks at the functions of these Boards and Committees of Management, one thinks that they will be conducive to the better management of the Sikh Gurdwaras. This does not mean that they are not being properly managed now. I have nothing to say about that but I think there is no harm in having better and more efficient management if one can have it.

Shri Saraf was quite right when he said that religion and politics should be kept separate, that there should be no intermingling of the two, that the moment we try to merge the one into the other, we get into trouble. What he meant to say was this, that no place of worship, whether it belongs to Hindus, Muslims, Sikhs, Christians or Parsis, should be made use of for political propaganda. I agree with him entirely. I think the moment you do so, those places of worship lose their halo of sanctity, lose their religious power. Therefore, I feel that politics should not be centred in any place of worship, not to speak of the Sikh Gurdwaras.

I also endorse the appeal which he has made to one of the great leaders of the Sikhs. Sant Fateh Singhji Maharaj, that this is not the time when we should create more trouble for our country than is already there. We are facing two very powerful, ruthless enemies on our borders. One is China and the other is Pakistan. I spoke about two enemies, but they are not two, they have joined hands, they are working hand in glove with each other, so that our economy may be destroyed, so that our unity may be jeopardised, so that there may be some kind of disaffection among the people of our country. At a time like this, for anybody to stage any kind of action which will take away the attention of the Government from facing these two enemies poised on our borders to something internal, however, urgent, however necessary, is not very desirable. I, therefore join my hon. friend Shri Saraf in making an appeal to Sant Fateh Singhji Maharaj not to launch that kind of a morcha at this time, because it will not be conducive to the good name of our country.

[Shri D. C. Sharma]

At the same time, I want to say one thing. Some of our most sacred Gurdwaras are in Pakistan. I think of Nankana Saheb and Kartarpur near Dera Baba Nanak which is in my constituency. There are so many Gurdwaras with which are associated the sacred names of the Gurus, with which are associated some of the great things done by the Sikh Gurus. Unfortunately, some of those Gurdwaras are in Pakistan. It speaks volumes for the courage of the Sikh community that even there they have some Sikh contingent to look after those Gurdwaras, but I know under what circumstances they work. I know under what handicaps they work, I also know under what disadvantages they have to work. If we have a Bill of this kind for the Gurdwaras in India, I think we can ask Pakistan to see to it that the Gurdwaras in Pakistan are also placed under one central authority which is in India. Unless we have that kind of central authority, we cannot ask another country to toe our line. Therefore, I feel that this Bill will have wholesome and healthy repurcussions not only in our own country but also in those countries where our gurdwaras are situated. I had been to the United States and I visited a gurdwara in Stockton. Wherever the Sikhs go, they build a gurdwara; wherever the Hindus go they build a temple and wherever Muslims go they build mosques. I feel that if we bring the gurdwaras in India under this kind of uniformity, the day will not be far off when we shall be able to negotiate with Pakistan in a way so as to ask them to hand over the management of those gurdwaras to this central authority which will be constituted by the Central Government.

I started by paying compliments to Shri Amar Singh Saigal and the more I think of this Bill the more regard I have for this hon. Member. This hon. Member has asked for only one thing: that this be referred to a Select Committee. I know what Select Committees are. When the Governments sponsor a Select Committee, it means that the Government wants the Members to toe the line which they propose and the most they can offer is a minute of dissent which does not carry them very far. But I think that in this case the Select Committee will fulfil that function which is given to it in a democracy, that it will, as Mr. Saigal said, try to iron out all the defects and overcome the shortcomings and put an end to all those defects which are there. I am sure out of the Select Committee will emerge a Bill which will be conducive to the glory of this House and our country.

I do not know what the Minister is thinking. Sometimes it so happens that a private Member proposes and the Minister disposes. But I know that the Minister cannot at this time go against the wishes of Shri Amar Singh Saigal who is a very persistent campaigner for his noble and wholesome idea. I am sure that this Bill will receive not only the blessings of this House but also the blessings of my friend Mr. Jaganatha Rao, the hon. Minister. If he had not been a Minister, he would himself have spoken in favour of it, but unfortunately some of the good men are taken away to the ministerial benches, and the moment they go there their whole outlook undergoes a change for the worse. I know that Mr. Jaganatha Rao still means well and still does well and still thinks well and I am sure he will bless this proposition which has been put forward by Shri Amar Singh Saigal, the doughty, vigorous, zealous Member from Madhya Pradesh.

श्री तुलशीदास जाधव (नांदेड़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल पेश किया

गया है, इसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । यह बात सही है कि जितने अलग-अलग धर्म होते हैं, उनमें सुसंगति न हो तो बहुत सी खराबियां पैदा होती हैं । लेकिन एक ही धर्म में जब अधिकतर लोग एक ही रीति से पूजा अर्चना करते है, तो दिक्कतें कम पैदा होती हैं । जैसा कि इस्लाम धर्म में है, वे मस्जिद में रोजाना या सप्ताह में एक बार नमाज पढ़ने के लिए आते हैं इसलिए इस्लाम धर्म को मानने वालों में दिक्कतें कम पैदा होती हैं । इसी तरह से क्रिश्चियन धर्म है । दुनिया के अन्दर आप कहीं भी चले जायें, उनका जो रीति रिवाज है वह एक सा ही आपको मिलेगा, एक ही विचार उनका होता है और उसके कारण उन लोगों में ज्यादा से ज्यादा इत्तिफाकी होती है और उन लोगों के विचार धर्म सरीखे हो जाते हैं । जिस धर्म में अलग-अलग विचार होते है, अलग-अलग रीति रिवाज होते हैं, उसमें झगड़े भी ज्यादा पैदा होते हैं ।

जब यह बिल यहां नहीं भी आया था तब भी इस देश में और इस देश के बाहर भी सिख लोगों में एकता और इत्तिफाकी हर जगह पर देखने में आती थी और अब भी आती है । दुनिया के अन्दर जितने अलग-अलग समाज हैं, उनमें जितने ज्यादा से ज्यादा लोग एक जगह पर आकर एक ही विचार से, एक ही रास्ते पर चलें तो हमेशा समाज की तकलीफें कम होंगी । इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कहना पड़ता है कि यह जो बिल भाई सहगल साहब लाये है यह बहुत अच्छा है ।

मेरी कंस्टिट्युएंसी में, नांदेड़ शहर में एक बड़ा गुरुद्वारा है । मैं हमेशा वहां जाता हूं । दूसरे वहां जो मन्दिर हैं, उन में भी मैं जाता हूं । मैं किसी धर्म के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं । लेकिन मैं देखता हूं कि हिन्दू धर्म के नाम पर अलग-अलग मन्दिर होते हैं, अलग-अलग चलन होने हैं, जिससे ऊंच-नीच की भावना पैदा होती है और समाज में इकोनोमिक कंडिशंज खराब होने की वजह से एक आदमी दूसरे को बुरा कहता है, हीन भावना से दूसरे की तरफ देखता है । लेकिन जहां तक गुरुद्वारों का सम्बन्ध है, या चर्चिज का सम्बन्ध है उनमें हीन भावना से किसी को नहीं देखा जाता है या यह जो भावना है यह कम है । मैं ने नांदेड़ में जो बड़ा गुरुद्वारा है वहां जाकर देखा है, ग्रंथ साहब के पास जाकर नम्रता से सब लोग वहां बैठ कर उसको सुनते हैं और उनमें एक सा विचार सब जगह पर आया हुआ नजर आता है और इस चीज का असर भी दूसरे लोगों के दिलों पर बहुत अच्छा पड़ता है । बाहर का तो मुझे मालूम नहीं है लेकिन हिन्दुस्तान में जहां-जहां गुरुद्वारे हैं और जहां-जहां गुरु ग्रन्थ साहब का पाठ होता है, उन गुरुद्वारों की व्यवस्था अच्छी रीति से चले, मैनेजमेंट अच्छा हो और पूजा अर्चना करने का तरीका एक सा हो, इस दृष्टि से यह जो बिल लाया गया है, इसको मैं सपोर्ट करता हूं । यह बड़ी अच्छी बात है ।

एक बात इसके साथ-साथ मैं और कहना चाहता हूं । कई भाइयों ने अपना मत व्यक्त किया है और कहा है कि इस रीति में एक दिक्कत हिन्दुस्तान में है जो दिक्कत कि दूसरे देशों में पैदा नहीं होती है । वह दिक्कत यह है कि आजकल हिन्दुस्तान में बहुत दिनों से अलग-अलग ग्रुप जो हैं उन में आपस में झगड़े होने आये हैं और धर्म के नाम पर आपस में तनातनी पैदा हो जाती है, खींचतान हो जाती है । मैं समझता हूं कि मन्दिर हो या गुरुद्वारा हो, जहां पर पूजा अर्चना होती है, उसके मैनेजमेंट में इस तरह के झगड़े पैदा नहीं होने चाहियें, आपस में खींचतान नहीं पैदा होनी चाहिये । मैनेजमेंट को नियमों के अन्दर, रूल्ज के अन्दर बांधने का यह जो प्रयत्न इस बिल में किया गया है, यह बहुत अच्छा है । धर्म की शिक्षा अपने धर्म वालों को तथा दूसरों को भी शान्ति से देने का प्रयत्न धर्म स्थानों से होना चाहिये । अपने लोगों को तथा अपने पड़ोस वालों को भी ठीक

[श्री तुलसीदास जाधव]

तरह से धर्म की शिक्षा देकर दुनिया का भला करने का प्रयत्न गुरुद्वारों और दूसरे धर्म स्थानों द्वारा किया जाना चाहिये और इन्हीं कामों के लिये इनका उपयोग होना चाहिये। मैं ने सिख भाइयों को देखा है, उन का मेरा साथ हुआ है, मेरी कांस्टिट्यूएन्सी में उनका एक बड़ा मन्दिर है जहां पर दुनिया के लोग आते हैं। ऐसे धर्म के लिये और ऐसे लोगों के लिये जो यह कानून बनाने की बात है वह बहुत अच्छी बात है।

साथ ही साथ एक बात और भी कहना चाहता हूं, जैसा कि दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कहा, सन्त फतेह सिंह महाराज ने आठ दिन पहले एक ऐलान किया। मैं समझ सकता हूं कि वह सेक्रिफाइस करना चाहते हैं। लेकिन यह भी तो सोचना चाहिये कि किस चीज के लिये सेक्रिफाइस करनी चाहिये और किस चीज के लिये नहीं करनी चाहिये। जैसे अभी कुछ दिन पहले मद्रास के अन्दर कई लोगों ने अपने खुद के ऊपर मिट्टी का तेल डाल कर अपने को जला दिया, यह कैसी सेक्रिफाइस है। हो सकता है कि अपने दिल से एक अच्छ काम के लिये उन्होंने सेक्रिफाइस की हो। लेकिन अगर कोई अपनी सेक्रिफाइस इस तरह दे कि जिस से देश के ऊपर, समाज के ऊपर कम्पलशन आये, एक बोझा आये, उस पर कुछ जुल्म हो, तो ऐसी बात सेक्रिफाइस में नहीं आती है। सेक्रिफाइस अगर करनी है तो वह इस तरह से होनी चाहिये कि दूसरे के दिल में रहम पैदा हो और वह उसकी बात पर विचार करने लग जाये। ग्रन्थ साहब के लिये मेरे दिल में बड़ा आदर है, बड़ा प्रेम है, इसलिये इस आदर और प्रेम को लेकर हम इस तरह से चलें कि देश में आज जो अलग अलग धर्मों के टुकड़े पड़े हुए हैं, दिल और मन के अलग अलग टुकड़े पड़े हुए हैं उनमें एकता आये। ऐसी हालत में जब कि देश के ऊपर आपत्ति आई हुई है, हमारे देश पर हमला हो रहा है, इन सब बातों को लेकर हमें सोचना चाहिये। ऐसी हालत में हम लोग कोई डिमाक्रेटिक मार्ग अख्त्यार न करें और यह कहें कि नहीं, पंजाबी सूबा बनना ही चाहिये, समाज जो दिल से चाहता है, उसकी परवाह न कर के इंडिविजुअल अपनी सेक्रिफाइस देने लग जायें, और सेक्रिफाइस करके डिमाक्रेटिक ढांचे के रास्ते से हटना, मैं नम्रता से कहूंगा कि मेरी दृष्टि में यह न्याय संगत नहीं है। मैं तो यह चाहूंगा कि जो लोग उनके साथ बैठने वाले हैं, जैसा कि हमारे अपोजीशन में बैठने वाले श्री कपूर सिंह हैं, वे उन से जाकर कहें कि इस बिल के एडमिनिस्ट्रेशन के लिये और उसके अनुसार व्यवस्था करने के लिये पार्लियामेंट की सपोर्ट है, लेकिन साथ ही साथ हाउस की रिक्वेस्ट है कि वह समाज और सन्त फतेहसिंह महाराज इस रीति से खुद की सेक्रिफाइस कर के ज्यादा से ज्यादा त्याग करें यह हम नहीं चाहते। उन का त्याग दूसरे कामों के लिये होना चाहिये। जैसे कि इस देश में जो सिख भाई हैं, जो मुसलमान भाई हैं इस देश में रहने वाली जितनी भी कम्यूनिटीज हैं उन सब को एक जगह पर लाने के लिये सैक्रिफाइस होनी चाहिये। वह अपनी सैक्रिफाइस दूसरे तरह के कामों के लिये इस डिमाक्रेटिक गवर्नमेंट पर न लादें।

श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी (सागर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री सहगल ने इस बिल के द्वारा हमें एक अच्छी चर्चा करने का अवसर दिया और इस के द्वारा इस देश में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने के लिये कदम उठाया।

सिखिज्म इस देश का एक बड़ा गौरवशाली धर्म है। यह भारत भूमि बड़ी गर्वीली है इस बात के लिये कि इस देश में सिखिज्म जैसे, बुद्धिज्म जैसे, जैनिज्म जैसे बहुत से धर्मों को उस ने जन्म दिया। जिस तरह से धरती पर अनेक सुन्दर सुन्दर फूल खिलते हैं और अपनी

सुगन्ध से प्राणों को आनन्द देते हैं, उसी तरह अनेक सद्भावनाओं से भरे कुछ धर्म इस भारत भूमि पर प्रस्फुटित हुए और अपनी सुगन्ध से इस भारत देश को आनन्दित करते रहे हैं। उन्होंने जीवन में अच्छाई की प्रेरणा दी और आज भी वह प्रेरणा दे रहे हैं। सिखिज्म ने इस देश की रियाया को बड़े आपत्ति काल में प्रेरणा दी, कुर्बानी की प्रेरणा दी, भाई-चारे की भावना को स्थापित किया इस देश में एक कोने से दूसरे कोने तक; और इस देश के अन्दर एक मर्दानगी का भाव जगाया। यह बड़ा शानदार धर्म हमारे देश की भूमि से उत्पन्न हुआ।

सिख शब्द आखिर है क्या। शिष्य। गुरु का शिष्य, गुरु की प्रेरणा पर जो चले सद्भाव की ओर। अच्छे पुरुषों ने जो अच्छी बातें कही है उन अच्छी बातों को करना और अच्छी बातें करने वाले लोगों को अपना गुरु मानना, और उनके आदेशों पर चलना, यही मुझे लगता है कि सिखिज्म है। हिन्दुस्तान में जितने भी विचारक हुए, अच्छे अच्छे विचारक और सन्त हुए, उन सन्तों की वाणी को गुरुओं ने इकट्ठा किया और उन्हें हमारे सामने रक्खा और हम उस वाणी को अपनी जिन्दगी में प्रतिष्ठित करें, उस वाणी में जो उपदेश हैं उनके अनुकूल अपने जीवन को चलायें इस भाव को लेकर ग्रन्थ तैयार हुए। जगह जगह उपासना स्थल बने। समय के अनुसार इधर उधर अगर कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं तो वे दूर हों, सब में एकता आये, एकस्वरमयता आये, इस दिशा में यत्न हमारे मित्र श्री सहगल ने इस बिल के द्वारा किया। मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छी बात है।

यों तो धर्म के माने अभ्युदय और निःश्रेयस की ओर ले जाने वाली चीज। दुनिया में हम सब तरक्की की तरफ जायें, त्याग की तरफ जायें, मनुष्य समाज अधिक विकसित और सुखी हो। हम इस दिशा में यत्नशील हों, धर्म का यही लक्ष्य है और यही लक्ष्य हर धर्म का है। लेकिन जैसे जैसे आने वाले युग में धर्म की वाणी, अभ्युदय और निःश्रेयस की वाणी धीमी पड़ती गई, हमारे महापुरुषों और गुरुओं को पैदा हो कर उन वाणियों पर जोर देना पड़ा। आखिरी युग में, थोड़े ही समय पहले जो पिछले व्यक्ति हुए उन्होंने सिख धर्म को चलाया। हिन्दुइज्म पहले हुआ, जैनिज्म पहले हुआ, बुद्धिज्म पहले हुआ, फिर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, लेकिन जब इन सब की वाणी धीमी पड़ रही थी तब सिखिज्म की आवाज आई। वह नजदीक से नजदीक की आवाज है जो अभी भी लोगों के कानों में गूंज रही है। लेकिन सारी गूंज लोगों के मन तक पहुंच सके इस तरह की व्यवस्था, मैं समझता हूं, मेरे मित्र ने इस बिल के द्वारा की है। यह एक अच्छा ख्याल है।

जगह जगह मन्दिर बनते है, मस्जिदें बनती हैं, जगह जगह गुरुद्वारे बनते हैं और उन के प्रबन्ध अलग अलग तरीके पर चलते है। बहुत अच्छी बात हो कि उन सारी चीजों का प्रबन्ध ठीक और उचित तरीके से हो, और जो बड़ी शक्ति इन चीजों की होती है उस शक्ति का ठीक तरह से, समन्वित तरीके से उपयोग हो और वह इस देश और समाज को आगे बढ़ाने में सहायक हो। इस ख्याल से श्री सहगल ने एक बहुत स्तुत्य और तारीफ के लायक कदम उठाया। मैं समझता हूं कि सिख समाज भी इस चीज का आदर करेगा। जहां तक मैं ने देखा, अधिकांश लोगों ने इसे महत्व दिया है और उन के काम की सराहना की है।

इस बिल के सम्बन्ध में यह बात कही गई कि इस को ज्वायेंट कमेटी को सौंप दिया जाये। ठीक है, यह उचित होगा और इस पर अच्छी छान बीन हो। अच्छे से अच्छे रूप में यह चीज आये। किसी अन्य भाव से, किसी के दबाव के भाव में, कोई रोक पैदा करने के भाव में यहा बिल नहीं लाया गया है। यह बिल रक्खा गया है अच्छाई पैदा करने के विचार से। यह बिल

[श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी]

लाया गया है ताकि इधर उधर अगर कोई खराबी हो तो उस का सुधार किया जाये। आखिर आज हर जगह खराबियां आ गई हैं। हिन्दू धर्म हो तो, मन्दिर हों तो। आप देखिये कि आज कितनी दुर्व्यवस्था हमारे मन्दिरों की है। बहुत सी सम्पत्ति है हमारे हिन्दू धर्म के मन्दिरों में, लेकिन उस का क्या उपयोग हो रहा है। कुछ जगह जरूर अच्छा उपयोग हो रहा है, यूनीवरसिटीज कायम हैं, अनाथ बच्चों की परवरिश होती है, दवाखाने चल रहे हैं। कहीं कहीं इस तरह अच्छा काम हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं हम देखते हैं कि उस धन का दुरुपयोग हो रहा है। जिस धन से खलकत में बसे हुए भगवान की पूजा होनी चाहिए, जो धन गरीबों की दिक्कतों को दूर करने में उपयोग होना चाहिए था, जो धन दुनिया में बसे हुए भगवान की सेवा में व्यय होना चाहिए था, जो शक्ति अच्छे कामों में खर्च होनी चाहिए थी, वह लोगों की ऐयाशी और मौज मजे में खर्च हो रही है। यह मैं हिन्दू धर्म में देखता हूं और इससे हमारा मन दुखी होता है। हम चाहते हैं कि देश में एक क्रान्ति हो, और एक परिवर्तन हो और यह जो शक्ति श्रद्धालु लोगों द्वारा धर्म के नाम पर समर्पित की जाती है उसका सदुपयोग हो। हम चाहते हैं कि इस दिशा में कदम उठे।

हमारे भाई ने जो यह बिल पेश किया है, मैं समझता हूं कि इस से इस तरह की भावना पैदा होगी कि धर्म की जो शक्ति है वह इकट्ठी हो और समाज को अभ्युदय और निःश्रेयस के पथ पर अग्रसर करने में सहायक हो। मैं इस बिल का जोरों से समर्थन करता हूं।

एक बहुत अच्छी चर्चा इस सदन में आयी है सन्त जी के इरादे के सम्बन्ध में। हम चाहते हैं कि इस देश में सद्भाव हो, एकता हो और किसी भी तबके को किसी रूप में चोट न लगे, कोई तबका यह महसूस न करे कि उस के ऊपर कोई चीज लादी जा रही है, उसे असंतोष न हो।

संत जी ने आवाज उठायी है कि एक सिख सूबा होना चाहिये। मैं तो कहता हूं कि सारा हिन्दुस्तान ही सिख सूबा क्यों न हो। सारे हिन्दुस्तान के लोग गुरुओं की वाणी को अपने चरित्र में अंकित करें और उनके उद्देश्यों के अनुकूल चल कर अपनी जिन्दगी को सुधारें लेकिन आज कुछ बातों को देखना हमारे लिए जरूरी है।

आज यह जरूरी है कि हम राष्ट्र की एकता को सर्वोपरि स्थान दें। ऐसी कोई बात न करें जिससे किन्हीं लोगों को चोट पहुंचे। जो लोग आज पंजाब में मिल कर देश की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा न हो कि उनके मन को किसी प्रकार की चोट लगे। मुझे यह कहने में भी यह अनुभव होता है कि कहीं इससे सन्त जी के दिल को धक्का न लगे। इससे उनके जी को चोट लग सकती है। लेकिन मैं बड़े अदब से कहूंगा कि यह वक्त देश की एकता के लिए बड़ा गम्भीर वक्त है। एकता की इस आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए हमें देखना चाहिए कि हमारी कोई कार्रवाई ऐसी न हो जिससे देश में अशान्ति हो। हमको एकमत हो कर आज एकता के लिए काम करना चाहिए।

श्री काशी राम गुप्त (अलवर) : उपाध्यक्ष जी, जो बिल माननीय श्री सहगल द्वारा लाया गया है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं। लेकिन इस विषय में मुझे अपने कुछ ऐसे विचार रखने हैं जो सम्भवतः मेरे और साथियों को बहुत न जचें।

आज यह प्रश्न है कि धर्म के साथ राजनीति को जोड़ा जाए अथवा नहीं और जोड़ा जाय तो किस रूप में जोड़ा जाए। यह ज्वलन्त प्रश्न आज हमारे सामने है। और यह इस

देश का दुर्भाग्य रहा है कि यहां हर बात में राजनीति आ गयी है। जहां पर कि मजदूरों का सवाल आता है वहां भी राजनीति, जहां पर कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाने का सवाल आता है वहां भी राजनीति, और जहां पर पंचायती राज का सवाल आता है वहां भी राजनीति। ऐसी दशा में जब अल्पसंख्यक लोग किसी बात में धर्म के साथ राजनीति को जोड़ना चाहते हों अथवा बहुसंख्यक लोग जोड़ना चाहते हों, तो हमें उसके मूल में देखना होगा कि ऐसी बात कहना कहां तक उचित है। आज इस प्रजातंत्र के युग में जब कि प्रभुसत्ता इस लोकसभा को प्राप्त है, तो निश्चय ही हम सब की यह जिम्मेवारी हो जाती है, न कि किसी सम्प्रदाय विशेष की कि हम इस बात को पूरी तरह से सोचें।

मेरे मित्र श्री सर्राफ ने एक बड़े महत्व की बात कही और भी साथियों ने कही और वह यह है कि समय भी देखना पड़ता है। जहां तक इस बिल को कानून बनाने का प्रश्न है इसमें कोई दो मत नहीं है और मैं समझता हूं कि सरकार भी इसे इस रूप में मंजूर करने के लिए तैयार होगी। किन्तु इसके साथ साथ जो बातें आज देश में चल रही है उनको देखते हुए एक गम्भीर चिन्तन का विषय पैदा हो जाता है कि राजनीति को धर्म के साथ जोड़ना चाहिए अथवा नहीं। मेरा यह मन्तव्य है कि जो हमारे अल्पसंख्यक लोग है उनकी बातों को हमें लापरवाही से नहीं बल्कि ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। अगर हमको उनकी बात नही जंचती और हमारा उन से मतभेद है तो वह भी स्पष्ट रूप से उन्हें बताना होगा, इस वजह से नहीं कि हमारा बहुमत है और हम जिद करके बताना चाहते है, बल्कि हमें दलीलें दे कर अपनी बात को न्याय की तराजू पर तोल कर उनको बताना चाहिए।

पूज्य बापू जी ने इस देश को हृदय परिवर्तन की बात बतलायी थी। हृदय परिवर्तन बहुमत का भी हो सकता है और अल्पमत का भी हो सकता है। यदि अल्पमत वाले अपनी किसी मांग को मनवाने के लिए अहिंसा पूर्वक किसी आन्दोलन का सहारा लेते हैं तो उनको भी देखना चाहिए कि ऐसा करना उनके शास्त्र सम्मत है या नहीं और हमारे लिए भी यह देखना जरूरी है कि उसका नतीजा गलत होता है या सही होता है। यह बहुत आवश्यक बात है। बापू, जिन्होंने इस हथियार को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया, देश की स्वतन्त्रता के लिए इस्तेमाल किया, उन्होंने भी अगर कहीं देखा कि उसका नतीजा गलत हो रहा है, तो उन्होंने उसको फौरन छोड़ दिया। आज भी हमारे देश में लोग आन्दोलन अहिंसा के नाम पर चलाते हैं, चाहे वे राजनीतिक लोग हों या सम्प्रदाय वाले हों, और जब स्थिति उनके हाथ से निकल जाती है और लोग हिंसा पर उतारू हो जाते हैं, तो वे उसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं होते।

आज देश की नाजुक स्थिति है। कुछ लोग कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति तो चलती ही रहेगी, आज काश्मीर का मामला है तो कल कोई दूसरा मामला हो सकता है, आज जो विशेष स्थिति देश के सामने है हो सकता है कि यह बहुत दिनों तक चलती रहे, तो कोई कब तक रुका रह सकता है। यह प्रश्न विचारणीय है और आज देश के लोग इस पर मनन कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे है कि क्या करना चाहिए। आज ऐसा समय है कि अगर एक जरा सी चिनगारी भी पैदा हो जाती है तो उसका भयंकर नतीजा होता है। आज देश बड़ी नाजुक स्थिति में से गुजर रहा है, अगर हम जरा भी गलती कर जायें और सही रास्ते से भटक जायें तो हमारे सामने बड़ा खतरा आ सकता है। इसलिए आज हमें इन सब बातों को बड़ी गम्भीरता से लेना चाहिए और दूसरे की बात को पूरी तरह समझने की कोशिश

[श्री काशी राम गुप्त]

करनी चाहिए और अपनी बात उसे बताने की पूरी कोशिश करनी चाहिए ।

पंजाबी सूबे की मांग बहुत दिन से चली आ रही है । यह नई बात नहीं है । यह मांग बहुत दिन से चल रही है और चलती रहेगी । इस बारे में लोगों में आपस में मतभेद हो सकता है, इसको कोई रोक नहीं सकता ।

15.48 hrs.

[SHRI THIRUMALA RAO *in the Chair*]

अपनी मांग को मनवाने के लिए हर एक अपना अपना रास्ता अपना सकता है । अहिंसा का रास्ता ऐसा रास्ता है जिस रास्ते से ये बातें चलती हैं, और वह हमारे धर्म का रास्ता है, क्योंकि धर्म मे अहिंसा को महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है । इसलिए यदि अहिंसा के आधार पर कोई काम किया जाता है और उसका नतीजा सही होता है तो बताया जाता है कि वह बात सफल हो गयी । लेकिन अगर हम समय को न देखेंगे और देश की स्थिति को न देखेंगे तो अन्यथा नतीजा हो सकता है । ऐसी हालत में यह कहना कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है बहुत कठिन हो जाएगा ।

आज यह कहना भी बहुत मुश्किल हो गया है कि धर्म राजनीतिकी कहां तक सहायता करता है । इसका सीमांकन करना बहुत कठिन हो गया है ।

आज प्रजातंत्र है और इसमें सब को अपने अपने अधिकार को मनवाने की छूट है । तो यह प्रश्न आ जाता है कि जो बड़े बड़े आन्दोलनों की आज आवश्यकता पड़ रही है वह क्यों पड़ रही है, इसको भी हमें देखना चाहिए । आखिर यह बातें इस देश में धर्म की आड़ में क्यों होती हैं यह देखना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है और इसके लिए ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत होती है ।

मुझे यह निवेदन करना है कि इस बिल को ज्वाएंट कमेटी के सुपुर्द करने के लिए सरकार अवश्य मान ले और साथ साथ यह जो देश में गड़बड़ चल रही है उस को ठीक रखने के लिए वह अपनी अन्तरात्मा को टटोलें और उसे टटोल कर इस बात को सोचें कि जैसी भी हो हम सब को मिल कर इस देश को सुरक्षित रखना है और इसकी आजादी को बनाये रखना है । इसके साथ ही हमें हर मजहब, जाति और सम्प्रदाय को अपने देश में सुरक्षित रखना है । अगर हम ऐसा सोचें कि जाति और सम्प्रदाय को सुरक्षित न रख कर हम कुछ काम कर सकेंगे तो वह भी एक गलत चीज होगी । इसलिए उन सब को सुरक्षित रख कर ही हमें आगे चलना है और वह तभी हो सकता है जब हम एक दूसरे को समझ कर और एक दूसरे के साथ सहयोग करके चलने की कोशिश करेंगे । बस मुझे इतना ही निवेदन करना था । धन्यवाद ।

श्री दलजीत सिंह (उना) : सभापति महोदय, सरदार अमर सिंह सहगल जो यह सिख गुरुद्वारों के सुप्रबन्ध की तथा उससे सम्बन्धित मामलों की जांच करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपे जाने वाला प्रस्ताव सदन के सामने लाये हैं वह सही, माकूल और एक नेक क़दम है । मैं उसका पूरे तौर पर समर्थन करता हूं । उनका मक़सद यह है कि गुरुद्वारों का इंतजाम ठीक हो । जो पुरानी रवायात चली आती थी या जिस मक़सद से यह गुरुद्वारे बनाये गये थे, गुरु साहबान ने जिस पाक मक़सद के लिये यह गुरुद्वारे बनाये थे, अफसोस का मुकाम है कि उनको कई लोगों ने अपने जाती मफाद व अपनी पोलिटिकल ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है । जरूरत इस बात की है कि उनकी पुरानी रवायात को बरकरार रक्खा जाय और इन गुरुद्वारों का इस्तेमाल सियासत और दीगर जाती मफाद के खातिर न किया जाय ।

आम तौर पर आपने देखा है कि गुरुद्वारे के चार दरवाजे होते हैं। इन चार दरवाजों का मतलब यह होता है कि उनमें चारों वर्ण के लोग जा सकते हैं। गुरु साहबान ने उस वक्त देखा कि कौम में जातिपांत का भेद बहुत था इसलिए इस जातिपांत के भेद को मिटाने के लिए ही उन्होंने गुरुद्वारों की जो शक्ल बनाई उसमें उन्होंने चार दरवाजे रखे जिससे कि चारों वर्ण के लोग आयें और वहां से शिक्षा लेकर जायें और शान्ति व एकता का पाठ पढ़ें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उस पवित्र मकसद को भुला दिया और अफसोस का मुकाम है कि आज कई जगहों पर सिख गुरुद्वारे सियासत और गुटबाजी के अखाड़ बने हुए हैं। कई लोग जो यह कहते हैं कि यह केवल सिखों के गुरुद्वारे हैं यह बात बिल्कुल गलत है। नवमी बादशाही तक कोई दाढ़ी, केश का बंधन नहीं था बल्कि सभी सिक्ख थे। जो भी वहां श्रद्धा के साथ जाते थे सिक्ख थे। गुरू साहबों ने किसी धर्म का खंडन नहीं किया बल्कि उन्होंने जो कमियां वहां पर थीं उन्हें निकालने की कोशिश की और सबको सच्चा मार्ग दिखाने की कोशिश की। वहां किसी के मजहब के खिलाफ कोई बात नहीं होती है। गुरुग्रंथ साहब जिसका कि हर गुरूद्वारे में प्रकाश होता है उसमें जहां गुरू साहबान की उच्चारण की हुई वाणी है वहां हिन्दु, मुसलमान, गरजे कि सभी धर्म के जितने भी भक्त हुए हैं जिन्होंने कि ईश्वर के साथ अपना रिश्ता जोड़कर भक्तिपूर्ण वाणी का उच्चारण किया है उन सब की वाणी का पाठ होता है। यह नहीं कि गुरुओं की वाणी का ही पाठ होता हो अपितु संत रविदास जी, कबीर जी, फरीद जी, और नामदेव आदि संतों की भी वाणी वहां पर सुनाई जाती है। इसलिए सिक्ख धर्म कोई बिल्कुल अलग धर्म नहीं है। उस समय कुछ ऐसी जरूरतें पेश आईं कि इस तरह का एक सिक्ख मत गुरुओं ने स्थापित किया ताकि अत्याचारियों से रक्षा की जा सके।

इतिहास बतलाता है कि जिस समय गुरु तेग बहादुर के पास कश्मीर के पंडित आये और उन्होंने अपनी फरियाद की और कहा कि औरंगजेब उनसे कहता है कि वे मुसलमान बन जायें और यह कि वह उन पर जुल्म करता है तब गुरु महाराज कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए आनन्दपुर से आकर औरंग-जेब से यहां दिल्ली में मिले। उस समय गुरु गोविन्द सिंह महाराज केवल 9 साल के थे। कश्मीरी पंडितों की फरियाद सुन कर गुरु तेगबहादुर ने यह कहा कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि अगर कोई महापुरुष अपनी कुर्बानी दे दे तो इनकी रक्षा हो सकती है। गुरु गोविन्द सिंह महाराज जो कि यह बात सुन रहे थे बोल पड़े कि इसके लिए आप से बढ़ कर और कौन महान् आदमी हो सकता है और आप को ही इसके काम लिए अपनी कुर्बानी देनी चाहिए। इतिहास साक्षी है कि गुरु तेगबहादुर यहां आकर औरंगजेब से दिल्ली में मिले और उससे उनकी बातचीत हुई थी। औरंगजेब ने यहीं चांदनी चौक में उनको क़त्ल करवा दिया। उनके क़त्ल होनेके बाद जो उनके शिष्य थे वे इधर, उधर छिप गये मगर उस वक्त दो आदमी निकले और वह दोनों हरिजन होते थे। उनमें से एक उनका शिष्य जीवन भाई, गुरु के शीस को आनन्दपुर ले गया और दूसरा शिष्य रात होने पर अंधेरे में बैलगाड़ी पर गुरु साहब का शरीर उठाकर यहां बड़े दफ्तर के पास जो गुरु द्वारा बन रहा है वहां अपने घर पर ले आया और शरीर को अपने घर में रख कर घर को आग लगाकर अंतिम संस्कार गुरु का उसने कर दिया। आप समझ सकते हैं कि कोई आदमी अपने घर को सहज से ही आग नहीं लगा सकता है। जब वह दूसरा उनका शिष्य शीस लेकर आनन्दपुर पहुंच गया और गुरु गोविन्द सिंह महाराज के सामने पेश हुआ तो गोविन्द सिंह महाराज ने कहा कि अब हमें इस जुल्म के खिलाफ लड़ना है और इसलिए मैं अपने शिष्यों में से जो बहादुर शिष्य होंगे उनको लेकर एक फौजी स्पिरिट वाला फिरका पैदा करूंगा। उनको उन्होंने

[श्री दलजीत सिंह]

केश व दाढ़ी रखवाई, और अमृतपान कराया दूसरे जो कि फौजी स्पिरिट के नहीं थे उनके लिए दाढ़ी व केश रखना जरूरी नहीं था जो सहजधारी कहलाते थे वे भी सिक्ख ही होते थे । ऐसा नहीं था कि केवल दाढ़ी और केश धारण करने वाले ही सिक्ख हो सकते थे, और दूसरे सिक्ख नहीं हो सकते थे । उस वक्त से यह दो फिरके सिक्खों के हो गये थे ।

इस के अलावा आप देखेंगे कि हर गुरुद्वारे में लंगर होता है । उस गुरु साहब के लंगर में हर एक को बिना ऊंच नीच के ख्याल के एक साथ बैठाल कर जिमाया जाता था । एक लाइन में बगैर किसी बात का जाति भेद का ख्याल किये बिना प्रसाद दिया जाता था लेकिन बाद में तरह तरह के लोग आगये, ऊंची जाति वाले और कई जगह यह ऊंच, नीच बरती जाने लगी थी और नीची जाति वालों को गुरुद्वारों में दाखिल होने से रोका जाने लगा था जो कि गुरु साहबान के नसीहत के बिलकुल खिलाफ़ था क्योंकि सिक्ख धर्म में कोई ऊंच नीच का भेद भाव नहीं है । सिक्ख गुरुद्वारों के सुप्रबन्ध के हेतु यह जो विधेयक लाया गया है वह एक आवश्यक कदम है । गुरुद्वारों में जातिपांत के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए । ज्योतिषी जी ने जो फरमाया है वह दुरुस्त है। गुरु साहबान की जितनी वाणियां है आप पढ़ लीजिये, जितने उपदेश हैं आप पढ़ लीजिये लेकिन कहीं भी गुरुद्वारे के अन्दर उनके किसी भी शिष्य को ऐसी कोई हिदायत नहीं है कि वह भूख हड़ताल करे, मरण-व्रत धारण करे या आत्महत्या करे । इसको बजर पाप माना गया है । सिक्ख गुरु वाणी में इन चीजों को गलत व पापपूर्ण माना गया है । लेकिन आज हो यह रहा है कि कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ साधने के खातिर और दूसरे मकसदों को हासिल करने की ग़रज से, कोई लीडर महाराज दूसरे लीडर को नीचा दिखाने के लिए और उससे आगे बढ़ने के लिए गुरुद्वारों का गलत इस्तेमाल करने लगे हैं, जोकि रोका जाना चाहिए । गुरुद्वारों में सियासत और गुट्टबाजी को कोई स्थान नहीं होना चाहिए । इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि जो पुरानी रवायतें हिस्ट्री में चली आती हैं उनको कायम रखने के लिए यह निहायत जरूरी है कि आल इंडिया बेसिस पर एक कम्प्रीहेंसिव बिल बने ।

गुरुद्वारों से होने वाली आमदनी का खर्च भक्ति का प्रचार करने और लोगों को शिक्षित करने में किया जाना चाहिए । लेकिन कई जगह उस रुपये का इस्तेमाल लोगों को तालीम देने के बजाय अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है जैसाकि अभी श्री तुलसीदास जाधव जी ने बतलाया था । मैं आपको बतलाऊं कि गुरुद्वारा बोर्ड तख्त हुजूर साहब नान्देड़ का मैं भी एक सदस्य हूं । वहां कई रवायतें चला दी गई थीं और अभी भी कुछ चलती हैं जैसे कि वहां का जो हैड पुजारी होता है जिसको कि हम दूसरे तख्तों में जत्थेदार कहते हैं और वहां हैड पुजारी कहते हैं, वहां के लोग चाहते हैं कि वह शादी-शुदा न हो, पहले शादीशुदा नहीं होता था लेकिन हमारी यह रवायात उल्टी है और हम शादीशुदा और गैर-शादीशुदा के बीच इस बारे में कोई फर्क नहीं रखते लेकिन वह इसे मानते नहीं है इसलिए यह निहायत जरूरी है कि ऐसे फर्कों को दूर करने के लिए कोई एक आल इंडिया बेसिस पर गुरुद्वारा बिल बनाया जाय ताकि हर एक जगह पर एक सी रवायतें हों आज जो उनकी आमदनी का खर्च ठीक तरीके पर नहीं हो रहा है या गुरुद्वारों का ठीक तरीके पर उपयोग नहीं हो रहा है वह दुरुस्त हो जाय और उन का प्रबन्ध ठीक से चलाया जाय । इतने शब्द कह कर आप को धन्यवाद देते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

16 hrs.

Shri Kapur Singh (Ludhiana): Mr. Chairman, Sir, it is a happy

augury that there has been general consensus in favour of the basic and fundamental objects of this Bill. One of the basic objects of this Bill is, as explained in the preamble of the Bill circulated, that there should be all India extension of the principles which are already embodied in the Punjab Gurudwaras Act. The other fundamental aim of this Bill is that statutory provision should be made for better and more efficient management of the Sikh places of worship. With both these fundamental objects of this Bill those hon. Members who have preceded me have agreed heartily and without any reservation. I would like to congratulate my hon. friend, Professor Sharma, who unfortunately is not here now, who has made out not only a very interesting point but a point which goes to the heart of the problem in relation to the second objective, namely, better and more efficient management of the Sikh Gurudwaras. He has mentioned a certain proposal which was advanced many years ago—I think more than a quarter of a century ago—by the Sanathana Dharma Sabha of Lahore that with a view to heel up the schism which has occurred in Northern India between the Sikhs and the Hindus, firm arrangements, through convention or through custom, for the study of certain scriptures, namely, Japuji, Gita and Sukhmani Sahib should be made for the children of all the Sikhs and Hindus. If it is possible to incorporate some provision by way of amending this Bill whereby a beginning can be made towards this laudable object to achieve a fulfilment of this proposal, I think it will be the most happy thing that can happen in the present political state of affairs of this country.

Apart from these general points, certain other points have also been made out by the speakers who have preceded me. Those points relate to certain propositions which they have mentioned by saying that no politics should be allowed to enter into Gurudwaras. This is a very broad and a very vague proposition. It can mean more than one thing. I think it can mean two or three distinct things. It can mean that politics must be divorced from the values and postulates of religion. If the hon. Members have this in mind, then I am afraid no Sikh who knows Sikhism would find it possible to agree to this, and as far as my study of my ancestral religion, Hinduism, goes . . .

Shri Sham Lal Saraf: The reference here was to factional politics.

Shri Kapur Singh: Let me proceed. I am coming to that also. It can mean three things. I am now examining one proposition. Now I will come to the other two propositions. As far as my study of my ancestral religion, Hinduism, goes, I am quite confident in my mind .

Shri Maurya (Aligarh): How can he say that Hindu religion is his ancestral religion?

Shri Kapur Singh: If you will not interrupt me, I will be very grateful. I know what is my ancestral religion and what is not. As far as my study of my ancestral religion, Hinduism, goes, I am quite confident in my mind that neither in our ancient scriptures, nor in the traditional books of Hinduism is there any sanction for the proposition that politics should be divorced from the values and postulates of religion.

But what my hon. friends have tried to stress may be another proposition, and that proposition might be that political intrigues must not be permitted to monopolise the functioning of centres of religion. If that is what they have in mind, then I assure them that there is not a single right—thinking Sikh who would not support them in that. During the last forty years that the Punjab Gurudwara Act has been functioning, serious-minded Sikhs have watched and witnessed with dismay and pain the abuse and

[Shri Kapur Singh]

misuse to which sometimes Sikh Gurdwaras and Sikh centres of worship have been put and it is the earnest desire of all right-thinking Sikhs, and it is the earnest desire of all Hindus who wish well by the Sikhs that, some provision should be made so that healthy practices can develop whereby these abuses can be eliminated in future.

But it can also mean a third proposition. When it is said that, politics should be taken out of the Gurudwaras, it may mean a different proposition also, and that proposition might be that no politics should be talked, no politics should be furthered, no politics should be encouraged within the precincts of the Gurudwara which does not please those who are in power. When the proposition of taking politics out of the Gurudwaras is intended really to support this third proposition, it is then that the Sikhs violently disagree with those who wish thus to assert themselves. I want to make this clear so that no misunderstanding is left in the mind of anybody with regard to the relationship of politics with the management of the Sikh Gurudwaras, as far as Sikhs are concerned.

Another point that has been made out is about the Punjabi Suba and the recent announcement of Sant Fateh Singh to take certain action to achieve the political demands of the Sikhs. I do wish that hon. Members would find it possible not to link it, or bring up this subject with the motion that is now before the House. Punjabi Suba is a political demand of the Sikhs. When this demand comes before this sovereign House, before this all-powerful House, then it can be discussed on its merits. Whether Punjabi Suba is a desirable thing, whether Punjabi Suba is in the interests of the Sikhs, it is for the Sikhs to decide. Whether Punjabi Suba should be granted, whether it should be conceded, it is for this hon. House to decide. I think that is the correct statement of the true position and it should be left there. It should not be mixed up or linked up with the motion which we are discussing now.

With regard to the fast of Sant Fateh Singh, whether religion allows it or not, it is for the Sikhs to decide and for the conscience of Sant Fateh Singh to decide.

Shri Sham Lal Saraf: We are also interested in it.

Shri Kapur Singh: As to whether or not an appeal should be made to Sant Fateh Singh it is for every individual to decide. I think it is the right of every citizen of this country to decide for himself as to what action to take in this connection.

Shri Sham Lal Saraf: May I have a word? I would respectfully submit that the stand or position taken by Sant Fateh Singh would create a very grave situation in India not only among the Sikhs but also among others. It will mean a disaster for the country and that is why I appeal to him sincerely to desist from his proposed action.

Mr. Chairman: May I say that this is an entirely different matter.

Shri Kapur Singh: Precisely, that is the point.

Mr. Chairman: I would request Members not to touch upon points which might even remotely generate controversy. Hon. Members should strictly confine themselves to the subject matter of the Bill.

Shri Sham Lal Saraf: May I respectfully draw your attention to one thing? This is something which is upper-most in the minds of everybody today. If anything happens now, God forbid, it will affect crores of people of India.

Mr. Chairman: Order, order. I rule that this is quite irrelevant to the subject matter of this Bill. Hon. Members might take advantage of other opportunities to express their anxiety about Sant Fateh Singh's fast. I would request hon. Members to keep away all controversies from this discussion.

Shri Sham Lal Saraf: There is no question of controversy. But I want to explain something.

Mr. Chairman: There is nothing further to explain.

Shri Sham Lal Saraf: When I was speaking, the Deputy-Speaker was in the Chair and he allowed me to touch on that.

Shri Kapur Singh: I am still on my feet and the hon. Member is insisting on interrupting me. I am not yielding now.

16.10 hrs.

(*Mr. Speaker* in the Chair.)

Mr. Speaker, Sir, I am grateful to the Chairman who has just now vacated the Chair that he has clarified the point in words which leave no doubt with regard to what my own intention is. The point which I would like to make out is that whatever the merits or the demerits of a certain action which Sant Fateh Singh wants to take or whatever the political merits or demerits of political demands of the Sikhs which they are making or which in future they might make, are questions which must not be linked up with the motion which is now before the House. The motion before the House should be considered on its own merits. When the proper time comes, when those subjects come up for discussion, this House is all powerful, this House has every right to discuss the merits or the demerits of those questions and this House also has the final power to come to a final decision as to whether those demands of the Sikhs should be conceded or not. Let these discussions be reserved for the proper occasion and not be confused with or linked up with the motion which we are now considering. This is the only point which I was trying to make.

The last point which has been made out by one or two hon. Members, who have preceded me, relates to the Gurdwaras left in Pakistan. It has been suggested that we might do something in connection with the motion which is before the House, in connection with the finalisation of the Bill which might become an Act through the consent of this Parliament, whereby the management of the Gurdwaras left in Pakistan is also somehow either brought under the control or brought under a system which is in accordance with the wishes of this House or the Sikh people.

Sir, the question of the Gurdwaras left in Pakistan is a very ticklish one. The question of the Gurdwaras and Sikh centres of worship left in Pakistan is a question which is full of all types of complications. The Sikh centres of worship which are left in Pakistan have this peculiarity—I think it is unique in History and it is unique in modern times—that while some of the Sikh centres of epiphany of religion from where the religion originated, have been left in one country, all their worshippers have been forced to flee to another country. This kind of situattion, even during the dispersal of the Jews, did not exist in Palestine as it exists today. It is, therefore, not a question which we can settle by any amendments or any provisions which we might enact here as a soverign Parliament of this country. This question can only be settled, as far as I can see—I have given a great deal of thought to this question—through the laws or statutes which are the domestic laws or statutes of Pakistan. There is no other way of achieving any final solution of this problem. Therefore, we must not try to complicate it furher by saying things which might be considered by the rulers or the

[Shri Kapur Singh]

people of Pakistan as derogatory to their own sovereignty. I think this matter should be left here.

With these words, I support the motion that this Bill should be referred to the Joint Committte. I also agree wih the suggestions that have been made that in the Joint Committee the Government should give free facilities, free consent and free agreement for remodelling and redrafting of this Bill so that its true object, namely, a better and more efficient management of the Sikh Gurdwaras such as is consistent with the true spirit of Sikhism, can be achieved irrespective of what the provisions of some previous enactments are, or irrespective of what the vested interests might wish this to be.

16.12 hrs.

STATEMENT RE ECONOMIC SITUATION

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): Sir, Honourable Members will recall that in the past I have presented a mid-year review of the economic situation to Paliament. The annual budget provides an opportunity for a periodical review of our plans and policies. Nevertheless, there are occasions when even a year's interval becomes too long for initiating remedial action to deal with emerging circumstances. The need for a mid-year review is all the greater during the current year because of the need to pave the way for the launching of the Fourth Five Year Plan. It is for this reason that I have taken this opportunity to present some supplementary proposals framed in the light of the current economic situation and the requirements of the Fourth Five Year Plan.

It is somewhat early at this stage to attempt a full picture of the likely budgetary outcome for the current year. However, there are sufficient indications that supplementary measures for raising revenue are necessary to keep to our resolve of avoiding deficit financing during the current year. Since the presentation of the Budget, the Centre has had to grant additional dearnes allowances which would result in an expenditure of about Rs. 25 crores during the year. Despite repeated appeals to the States to avoid recourse to overdrafts from the Reserve Bank and to consolidate their financial position, some additional assistance to a number of States has become inevitable; and this may account for an additional outlay of about Rs. 40 crores. Honourable Members would also appreciate that in view of renewed hostilities at a number of points on our borders we have had to provide larger amounts for police and border security.

There are indications also that receipts on capital account would be lower under a number of heads. In view of the sluggish conditions in the money market, we had to reduce the borrowing programme of the Centre by about Rs. 20 crores; i.e., from Rs. 270 crores assumed in the Budget to Rs. 250 crores. Trends in small savings during the past three or four months have not allogether been satisfactory; and although I except some improvement in the coming months, it is likely that there may be a shortfall of about Rs. 10 crores from the Budget estimate of Rs. 135 crores. We have also to reckon with a shortfall of about Rs. 15 crores under annuity deposits.

On revenue account, receipts under Customs may well be somewhat larger than we had budgeted for. A similar improvement under Excise Duties, however, does not seem likely. Receipts under Income and Corporation Tax have not been buoyant so far. It would be our endeavour to step up tax collections during the rest of the year by even more vigorous efforts. But, on the whole it would